झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

वार्षिक इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा, 2011 के उत्तरपुस्तिकाओं के पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक सूचना

विज्ञप्ति संख्या - 51/2011

एतद् द्वारा सभी संबंधित छात्र/छात्राओं, अभिभावकों एवं महाविद्यालयों/+2 विद्यालयों को सूचित किया जाता है कि – जो छात्र/छात्रा अपने विषय/विषयों के प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं हैं, वे स्क्रुटनी के लिए अपने +2 विद्यालय/महाविद्यालय के प्रधान के द्वारा अग्रसारित आवेदन पत्र के साथ 150/– (एक सौ पचास) रूपये प्रति विषय की दर से शुल्क की कुल राशि **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड"** के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय तथा संथाल परगना प्रमण्डल के लिए **"झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड"** के नाम से देय एवं दुमका में भुगतेय बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से परिषद् कार्यालय, राँची एवं परिषद के क्षेत्रीय कार्यालय, दुमका में दिनांक 10.07.2011 संध्या 5.00 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में अवश्य जमा करेंगे। आवेदन के साथ छात्र/छात्रा का इन्टरनेट से निकाले गये अंक पत्र एवं प्रवेश पत्र की छायाप्रति निश्चित रूप से संलग्न करेंगे।

1. स्क्रूटनी में निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाएगाः–
   (क)अंदर के पृष्ठ में आवंटित अंक अगर मुख्य पृष्ठ पर अंकित नहीं है तब उसे मुख्य पृष्ठ पर अंकित करते हुए योग में सुधार किया जाएगा।
   (ख)अगर कोई प्रश्नोत्तर बिना मूल्यांकन के रह गया है तो उसका मूल्यांकन किया जाएगा।
   (ग)अंकों का योग अगर सही नहीं है तब उसमें सुधार किया जाएगा।
   (घ)स्क्रुटनी के लिए आवेदन देने वाले छात्रों को स्पष्ट किया जाता है कि स्क्रुटनी के तहत मूल्यांकित प्रश्नोत्तर का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जाता है।
2. **ऐसे छात्र/छात्रायें जो इंजीनियरिंग/मेडिकल आदि संस्थाओं में प्रवेश प्रतियोगिता के आधार पर चयनित हो चुके हैं, वे तत्सम्बन्धी ठोस साक्ष्य के साथ स्क्रुटनी हेतु सीधे परिषद में दिनांक 20.06.2011 तक आवेदन कर सकते हैं, परन्तु इसके लिये उन्हें आवेदन के साथ इन्टरमीडिएट परीक्षा, 2011 का प्रवेश पत्र, इन्टरनेट से निकाला गया अंक पत्र तथा प्रति विषय 300/- रूपये की दर से शुल्क की कुल राशि "झारखण्ड एकेडमिक कौंसिल फण्ड" के नाम से देय एवं राँची में भुगतेय जमा करने होंगे।**
3. निर्धारित तिथि को 5.00 बजे अपराहन के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। साथ ही बिना शुल्क के अथवा बिना विद्यालय/महाविद्यालय प्रधान के अग्रसारण एवं अनुशंसा के स्क्रुटनी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. निर्धारित तिथि के बाद अथवा डाक द्वारा भेजा गया स्क्रुटनी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अध्यक्ष के आदेश से,
ह./-
(यमुना गिरि)
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची।

JAC/विज्ञप्ति/4290/10/SECY/287/11
Dt. 11.6.11
D.O.P-12.06.2011